मि.सं.10-5/2019-विस्तार
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15/11 , 2019

<u>रिक्ति परिपत्र</u>

विषय: राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में महानिदेशक के पद को भरा जाना ।

कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), राजेंद्रनगर, हैदराबाद में गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम, के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 (1,44,000-2,18,000 रुपये) समूह 'क' में महानिदेशक का एक पद कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.7.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28/13/2006-ईओ (एसएम-II) में निर्धारित खोज एवं चयन समिति प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या स्वैछिक अथवा स्वायत्त संगठनों के अधिकारियों में से इसके भरे जाने की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए भरे जाने का प्रस्ताव है :

(i) जो मूल कैडर या विभाग या संगठन में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (रु। 144,200 / - से 2,18,200 / -) में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण किए हुए हों;

(ii) उत्कृष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर व्यापक अनुभव होने के साथ संगठन के प्रबंधन में विशेषकर प्रशिक्षण संस्थान के में अनुभव होना ; तथा

(iii) कृषि या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव

नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित एक अन्य पूर्व-कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि तुरंत ही इस नियुक्ति से पहले या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में पांच साल से अधिक नहीं होगी।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. पद, पात्रता की शर्तों आदि का विवरण अनुबंध । में दिया गया है।

3. यह रिक्ति एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार तथा राष्ट्रीय दैनिक ' द हिन्दू ' (अंग्रेजी), हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) , नव भारत टाइम्स (हिन्दी) तथा इक्नॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) के सभी संस्करणों में भी प्रकाशित की जायेगी । इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन पत्र इस विभाग को इस रिक्ति के एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अग्रेषित किए जाएं । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजे जाने हैं:-

(i) बायोडाटा- अनुबंध । में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार डुप्लिकेट में

(ii) सतर्कता संबंधी स्वीकृति प्रमाणपत्र

(iii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र

(iv) पिछल दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति संबंधी विवरण

(v) संवर्ग नियंत्रण/नियुक्ति प्राधिकारी से संवर्ग संबंधी स्वीकृति, यदि प्रयोज्य हो; और

(vi) पिछले पांच वर्षो अर्थात 2009-10 से 2013-14 की एपीएआर की प्रतियां जिन्हें भारत सरकार के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो जो अवर सचिव से नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए । यदि किन्हीं कारणों से किसी विशिष्ट वर्ष या किसी वर्ष के कुछ भाग (जो तीन महीने से अधिक हो) के लिए अधिकारी की एसीआर/एपीएआर नहीं लिखी गई हैं तो संगत पिछले वर्ष/वर्षों की एपीएआर के साथ उस अवधि के लिए एक 'कोई रिपोर्ट नहीं प्रमाणपत्र' (एनआरसी) संलग्न किया जाए ।

4. आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर प्रतिनियुक्ति द्वारा इस नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष होगी । संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की एक जाँच-सूची (check-list) भी भेजी जाये (प्रोफार्मा संलग्न) । आवेदन पत्र अवर सचिव (विस्तार) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमरा सं.- 17-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को अभ्यर्थी के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी/विभाग के माध्यम से भेजे जाने चाहिएं । आवेदन की सॉफ्ट कॉपी ponni.d@nic.in पर ईमेल की जा सकती है।

5. अंतिम तिथि के पश्चात अथवा अद्यतन एपीएआर, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र और बड़ी/छोटी शास्ति विवरण के बिना प्राप्त आवेदन या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(डी पोन्नी)
अवर सचिव (भारत सरकार)
टेलीफैक्स- 23382013
ईमेल ponni.d@nic.in

प्रति प्रेषित:
प्रति प्रेषित:

(i) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
(ii) सचिव (कृषि), सभी राज्य सरकार/ संघ राज्य सरकार ।
(iii) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
(iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
(v) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।
(vi) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अधिकारी । आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें ।
(vii) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
(viii) कृषि विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के /सभी कुलपति ।
(ix) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय(डीएच,पीसी), नई दिल्ली ।
(x) स्थापना- I/II अनुभाग।
(xi) स्थापना-III नोटिस बोर्ड के लिए ।
(xii) निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए) ।
(xiii) एनआईसी (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)।
(xiv) महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)
(xv) गार्ड फाईल ।